

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumadon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1438 / 12-1(2) अल्मोड़ा, दिनांक, 5/10/2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.915 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/31411/2018.

संदर्भ:- आपकी ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 14.08.2021।

महोदय,

आपकी ऑन लाईन प्राप्त आपत्ति का प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 779/12-1 (2) दिनांक 19.08.2021 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न- प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक:- 179 / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 19 अगस्त, 2021।

सेवा में,

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,

उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घो0 संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.915 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में (Online No. FP/UK/ROAD/31411/2018)।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 415/12-1(2) दिनांक 28.07.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में कमियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है:-

क्र0 सं0	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	It is seen that 0.28 ha area selected for muck disposal in foresr area. State Government is requested to avoid forest area for muck disposal and select some non forest land for this purpose	डम्पिंग यार्ड हेतु कुल 1.72 हे0 भूमि की आवश्यकता है, जिस हेतु अधिकतम नाप भूमि का प्रयोग करते हुए 1.440 हे0 ली गई है तथा शेष 0.28 हे0 ही वनभूमि चिन्हित की गई है।
2	On persusal of KML file of the proposed area. It has been noticed that village Dewal is already connected with the road. State Government is requested to submit the details of remaining habitation, their population and path distance from the nearest existing road	यह मार्ग देवल से होकर खोलिया गांव, दारती खड़ियानी, छबीसा को जोड़ते हेतु जाता है, जिनकी जनसंख्या क्रमशः 1434, 249, 123, 27, 81 है। प्रतिवेदन में सूचना अंकित है, तथा exsiting मोटर मार्ग से इन ग्रामों की दूरी क्रमशः 4.00 किमी0, 4.00 किमी0, 6.00 किमी0, 7.00 किमी0 व 10.00 किमी0 है।
3	Details of 631 trees to be enumerated found uploaded at para 4 in part II and in tree emueration list. However it has been mentioned in the justification that tree counting done in 9 m width. State Government is requested to submit the tree enumeration list in 5.2 mtr width and at curve 6.1 mts. Width as the area is very dense and population is less in the area.	मार्ग में पेड़ों की गणना 6.00 मी0 में की गई है, एवं वनभूमि प्रस्ताव में मोटर मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 में ली गई है। औचित्यपूर्ण विवरण जस्टिफिकेशन में त्रुटिवश 9.00 मी0 में अंकित हो गया था, जिसे सही कर दिया गया है।
4	Details of alternate not found uploaded at para D (ii) (a). may submit at least three alternate in this regard to minimize the number of trees.	वैकल्पिक समरेखन का तुलनात्मक विवरण अपलोड कर दिया गया है।
5	State Government is requested to upload submit the village level committee meeting proceedings of each village separately	वी0एल0सी0 मितिंग के प्रपत्र अपलोड कर दिये गये है।
6	Letter number and date is not found mentioned in FRA certificate of district Magistrate State Government may do the needful in this regard	एफ0आर0ए0 में पत्रांक ओर दिनांक अंकित कर अपलोड कर दिया गया है।

	Date of meeting of District Level Committee is mentioned as 21-08-2018 and 26-12-2017 in two different document. State Government may clarify this.	पूर्व में वनभूमि प्रपत्रों में केवल जिलाधिकारी स्तर का प्रमाण पत्र दिनांक 26.12.2017 को प्रदत्त किया गया था, बाद में जिलास्तरीय समिति का प्रमाण पत्र भी मांगे जाने के कारण पुनः दिनांक 21.08.20218 को जिलास्तरीय समिति के सदस्यों की बैठक की गई, जिस कारण दोनों प्रपत्रों में भिन्न दिनांक अंकित है।
8	As per DSS analysis of CA area proposed in civil soyam land 6 ha. Area found in VDF and 2 ha. In MDF State Government may submit the list of trees standing in the CA area and submit the site inspection report of the concerned DFO.	निरीक्षण आख्या अपलोड कर दी गयी है।
9	State Government is requested to check the rate mentioned in the CA scheme which does not appear to correct	क्षतिपूरक वृक्षारोपण सकीम नई दरों से तैयार कर अपलोड कर दी गई है।
10	Documents uploaded at L (iv) g & h are not correct. State Government may upload the correct documents at L(iv) g & h in part- I	प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है।
11	CA scheme uploaded online in part II not properly scanned State Government may upload a clear copy of the CA scheme.	CA scheme संशोधित कर अपलोड कर दी गयी है।
12	Aerial distance of the proposed area from the nearest wildlife sanctuary is mentioned as 470 mtr.. State Government may submit the comments of CWLW inthes regard.	CWLW certificate अपलोड कर दिया गया है।
13	In view of the above point no. xii details filled at para 8 seems not correct. State Government may direct the DFO to verify and fill the correct details at para 8 in Part II	उचित विवरण संशोधित कर लिया गया है।
14	Density is mentioned as 0.3 for 631 trees in 4.915 ha. Area which does not appear to be correct and may be corrected	वन घनत्व अपडेट कर दिया गया है।
15	Tree enumeration list uploaded online in part II is not properly scanned. . State Government may uploaded the clear and complete copy of the tree enumeration list online.	प्रपत्र सही कर अपलोड कर दिया गया है।
16	Details of trees mentioned at para 4 in Part II are not matching with details mentioned in the tree enumeration list uploaded in additional documents. State Government may provide claricication in this regard and remove this discrepancy	trees List अपडेट कर दी गयी है।
17	Administrative approval and CA site suitability is not found uploaded. Which may be uploaded.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का पत्र एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।

Following short coming are noticed in the muck disposal plan. State Government is required to make the necessary correction accordingly .

(a)	State Government is required to mark the muck disposal site in KML File	मक डिस्पोजल साईट के 0एम0एल0 पर अंकित कर दी गई है।
(b)	State Government may clarify whether 0.28 ha. Area selected for muck disposal is enough for the purpose	0.28 है0 सिविल भूमि के अतिरिक्त 1.44 है0 नाप भूमि पर मक डिस्पोजल किया जाना प्रस्तावित है।
(c)	Swell factor is not found calculated in the muck disposal plan	सही कर दिया गया है।
(d)	It is seen that 6 sites of non- forest area mentioned in muck disposal plan are not included in component wise breakup at para B 2.4 in part I which may be done	आनलाईन निराकरण कर दिया गया है।
(e)	Total debris is mentioned as 1,26,000 cum out of which 83.792 cum mentioned to be consumed but balance calculated is 26.460 cum which is incorrect and seems not verified by DFO also. However muck disposal plan of only 34.425 cum is submitted instead of 39.208 cum. State Government may submit clarification and submit the correct muck disposal plan	मक प्लान सही कर अपलोड कर दिया गया है।
(f)	State Government is also requested to submit the reclamation plan	अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त संदर्भित पत्र में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बिन्दुवार सूचना 04 हाई कापियों में संलग्न सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

नोट:- संलग्नक पार्ट -1 में अपलोड किये गये हैं। उक्त को EDS के माध्यम से अपलोड किया जाना संभव नहीं है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।